माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

दिव्यांग (CWSN) विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शिथिलन एवं बोर्ड परीक्षा में दी जाने वाली सुविधाएँ:–

1. दिव्यांगता श्रेणियों को पाठ्यक्रम में शिथिलन एव विशेष रूप से तैयार प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो वर्गों में रखा गया है।

दिव्यांग श्रेणी प्रथम वर्ग	दिव्यांग श्रेणी द्वितीय वर्ग
मानसिक मन्दता(अधिगम अक्षमता) (Mental Reardation) ऑटिज्म, (Autism) बहु निशक्तता, (Multiple Disabilities) मानसिक रोग, (Mental Illness) श्रवण बाधित, (Hearing Impairment) मूक निशक्तता (Speech Impairment) स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटि(Specific learning Disabilities) बौद्धिक निशक्तता, (Intellectual Disabilities) मल्टीपल स्क्लेरोसिस, (Multiple Sclerosis) सेरीब्रल पल्सी(Cerebral Palsy)	दृष्टिबाधित , (Blindness) अल्प दृष्टि, (Low-Vision) चलन निशक्तता, (Locomoter Disabilities) कुष्ठ रोग मुक्त (Leprosy Cured) बौनापन, (Dwarfism) तेजाब पीड़ित, (Acid Attack Victim) मांसपेशी दुर्विकास, (Mascular Dystrophy) पार्किंसंस रोग, (Parkinsons) हीमोफीलिया, (Hemophilia) थैलेसीमिया, (Thalassemia) एनीमिक / सिकल सैल डिजीज (Anemic/Sickle Cell Disease) पोलियो / नर्व इन्जरी (Polio/Nerve Injury) सूर्यमुखी(Albino)

2. **प्रथम वर्ग वर्ग की दिव्यांग श्रेणियों के परीक्षार्थियों को देय सुविधाएं निम्नानुसार होंगी :–**
   - वर्ग की सभी श्रेणियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 से प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएँगे। (ध्यातव्य है कि यह प्रावधान पूर्व में केवल मूकबधिर विद्यार्थियों को के लिए था)
   - प्रश्न बैंक से लिए गए प्रश्नों की भाषा तथा शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
   - बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिये गये विकल्पों के क्रम में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
   - प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्रों के अनुसार ही तैयार किया जाएगा एवं परीक्षा 2023 के लिए नवीनतम आद्यतित मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे।
   - मूल्यांकन के दौरान परीक्षार्थी के द्वारा व्याकरण संबंधित त्रुटियों के लिए किसी प्रकार के अंक नहीं काटे जाएंगे।
   - कल्पना शक्ति के आधार पर लिखे जाने वाले शब्दों को प्रश्न पत्र में नहीं दिया जाएगा ।
   - जटिल समीकरण एवं ज्यामितीय प्रश्नों के स्थान पर सरल समीकरण, परिभाषाएं सूत्र इत्यादि ही पूछे जाएंगे।
   - कक्षा 10 के लिए 70 प्रतिशत प्रश्न प्रश्न बैंक में से एवं 30 प्रतिशत प्रश्न पाठ्य पुस्तक के अध्यायों के अंत में दिए गए प्रश्नों में से सरलतम प्रश्न दिव्यांग जनों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप चयन करते हुए दिए जाएंगे।
   - कक्षा 12 में 50 प्रतिशत प्रश्न प्रश्न बैंक में से एवं 50 प्रतिशत प्रश्न पाठ्य पुस्तकों अध्यायों के अंत में दिए गए प्रश्नों में से सरलतम प्रश्न दिव्यांग जनों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप चयन करते हुए दिए जाएंगे।
   - गत वर्षो की भांति दिव्यांगजन के विशेष प्रश्न पत्र केवल हिंदी अंग्रेजी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, एवं व्यावसायिक शिक्षा के दो ट्रेड विषयों (IT/ITeS , MICRO IRRIGATION) में ही उपलब्ध कराए जाएंगे ।
     इसी प्रकार कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, गृह विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा के दो ट्रेड विषय (IT/ITeS , MICRO IRRIGATION) के ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
   - उच्च माध्यमिक परीक्षा में यदि परीक्षार्थी उपरोक्त उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त किन्ही अन्य विषयों का चयन करता है तो इसे सामान्य विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्र ही उपलब्ध कराए जाएंगे ।
   - परीक्षार्थी को 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से एक घंटा अतिरिक्त एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जावे । परीक्षा अवधि के दौरान पांच 5 मिनट का सूक्ष्म अंतराल दो बार दिया जाएगा ।
3. **द्वितीय वर्ग की दिव्यांग श्रेणियों के परीक्षार्थियों का देय सुविधाएं निम्नानुसार होंगी :–**
   - द्वितीय वर्ग को पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित सामान्य प्रश्न पत्र दिए जाएंगे ।
   - श्रेणी के दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जाये एवं परीक्षा अवधि के दौरान पांच 5 मिनट का सूक्ष्म अंतराल दो बार दिया जाएगा।

4. **दिव्यांग जनों के संदर्भ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूर्व में समय–समय पर जारी किए गए सभी आदेश/ दिशानिर्देश यथावत लागू रहेगें।**

परीक्षा 2023 से लागू किये गये प्रावधान निम्न हैं –

- दिव्यांग श्रेणी के सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा सम्बन्धी विशेष निर्देश परीक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड पर लिखवाये जाएंगे।
- दिव्यांग श्रेणी के सभी परीक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध करायी जावें एवं उत्तर पुस्तिका में स्कैच पैन से पृष्ठ के एक ओर लेखन की अनुमति, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य सहयोगी उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। कलर ब्लाइन्डनैस के लिए कलर नेमिंग सुविधा उपकरण की सुविधा रहेगी।
- अल्पदृष्टि एवं दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों को मैग्नीफाइंग ग्लास,टिंटेड ग्लासेज,कलर्ड ओवर ले, अबेकस, ज्योमेट्रिक, टूल्स,टॉकिंग, केल्कुलेटर, टेलर फ्रेम इत्यादि श्रवण बाधित को नॉइस कैन्सलिंग हेडफोन्स रहेंगे।
- दिव्यांग श्रेणी के सभी परीक्षार्थियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रयोगिक परीक्षाओं में प्रैक्टीकल असिसटैन्ट, केयर असिसटैन्ट, प्रॉम्पटर, कम्यूनिकेटर उपलब्ध कराया जाएगा।
- चिकित्सक की स्पष्ट अभिषंशा पर दिव्यांग श्रेणी के सभी परीक्षार्थी की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्र पर मैडिकल स्टाफ की उपस्थित में परीक्षा दिये जाने की अनुमति दी जाएगी।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा के साथ पुनः परीक्षा में बैठने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
- दिव्यांग श्रेणी के सभी परीक्षार्थियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सत्र की कुल उपस्थिति में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रहेगा।
- विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को उनके दिव्यांगता के दृष्टिगत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सहयोगी डिवाइसेज उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को परीक्षा कक्ष में यदि आवश्यकता हो तो केयर गिवर की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

5. दिव्यांग श्रेणी के परीक्षार्थियों को स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति है।
6. ऐसे विषय जिनमें प्रश्नों के उत्तर देने में परीक्षार्थी को कई बार चित्र बनाना आवश्यक होता है अथवा मानचित्र, ग्राफ में प्रश्नपत्र में दिये गये स्थान अथवा स्थल दिखाने आवश्यक होते हैं **यथा विज्ञान, साामाजिक विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि।** नेत्रहीन परीक्षार्थियों को इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से मुक्ति दी गई है।